# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः ओमप्रकाश वर्मा
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 92/2025
निर्णय दिनांकः 10.09.2025
दायरा दिनांकः 04.06.2025
जीसीएमएस संख्या– 2025/201

1. गंगा पत्नी ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

................प्रार्थिनी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थिनी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थितः–

1. प्रार्थिनी जरिये अधिवक्ता श्री कैलास गुलेरिया ।
2. अप्रार्थी की ओर से राज पैरोकार।

**–:निर्णयः–**

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीनी के संयुक्त खातेदारी में तहसील सुजानगढ़ के रोही गनोडा के खसरा नयम्बर 306 तादादी 3.4268, ख0नं0 380 तादादी 2.5416 है0, 366 तादादी 4.4889 है0 स्थित है। प्रार्थिनी का नाम उपर्युक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मीगादेवी अंकित है। जबकि प्रार्थिनी का सही व वास्तविक नाम गंगा है।

प्रार्थिनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थिनी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थिनी की खातेदारी भूमि में नाम दुरस्त करवाना प्रार्थिनी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिनी का नाम मीगा पत्नी ओमप्रकाश है जबकि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला चूरू सत्यमेव जयते

उप खण्ड अधिकारी

अन्य दस्तावेजों में नाम गंगा पत्नी ओमप्रकश दर्ज है। गीगा व गंगा दोनों एक ही व्यक्ति है अलग–अलग नहीं है। तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रार्थिनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गंगा पत्नी ओमप्रकाश किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जन आधार कार्ड, आधार कार्ड व परिवार राशन कार्ड आदि में भी प्रार्थिनी का नाम गंगा ही अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

**–ःआदेशः–**

प्रार्थिनी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि वाके रोही ग्राम गनोड़ा के खाता संख्या 262 खसरा नम्बर 306, खाता संख्या 23 खसरा नम्बर 380, खाता संख्या 70 खसरा नम्बर 366 में दर्ज खातेदार गीगादेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) के स्थान पर गंगा पत्नी ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2025 को टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरु सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़